

**झारखण्ड सरकार**  
**श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग**

**अधिसूचना**

एस0ओ0 .....

दिनांक .....

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (1948 का 11) की धारा-3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल यह घोषणा करते हैं कि एतद् संबंधी संलग्न अनुसूची-1 में उल्लिखित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के प्रायोज्य मूल्य सूचकांक तालिका के स्तम्भ-2 में प्रदर्शित मासों के लिए उक्त अधिनियम की धारा-2 के खण्ड (डी) के प्रयोजन के निमित्त तालिका के स्तम्भ-3 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

क्र0 सं0	माह एवं वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2016 = 100)
1	2	3
1.	जनवरी, 2025	143.2
2.	फरवरी, 2025	142.8
3.	मार्च, 2025	143.0
4.	अप्रैल, 2025	143.5
5.	मई, 2025	144.0
6.	जून, 2025	145.0
7.	कुल	861.5
8.	6 माह का औसत	$861.5 \div 6 = 143.58$
9.	Conversion from new series (2016 = 100) to Old series (2001 = 100)	$143.58 \times 2.88$ $= 413.51$ या <b>414</b>
10.	जनवरी, 2023 से जून, 2023 की अवधि के आधार पर पुनरीक्षित/निर्धारित औसत सूचकांक सूचकांक में वृद्धि	386 बिन्दु
11.	प्रतिशत वृद्धि = $\frac{28 \times 100}{386}$	$414 - 386 = 28$ बिन्दु <b>7.25 %</b>

2. परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होंगी, जिस पर संलग्न अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई है। उल्लेखनीय है कि जनवरी, 2023 से जून, 2023 की अवधि के औसत सूचकांक के आधार पर व झारखण्ड न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्सद के बैठक के आधार पर पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी की मूल दरें दिनांक-11.03.2024 से प्रभावी है।



3. सूचकांक में यथा स्थिति वृद्धि अथवा ह्रास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तम्भ-3 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जाएगी और उसे परिवर्तनशील महँगाई भत्ता का अंश समझा जाएगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाय जिस पर परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई हैं, तो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित परिवर्तनशील महँगाई भत्तों की दरों में कमी नहीं होगी।
4. परिवर्तनशील महँगाई भत्ता का भुगतान उपर्युक्त दर से, जो जनवरी से जून, 2025 (वर्ष-2025 का प्रथम अर्द्धांश) के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर आधारित है, दिनांक-01.10.2025 की तिथि से देय होगा।

संख्या-2/एम0डब्लू0-2071/20210, श्र0नि0, 27/23, राँची, दिनांक 03/11/25

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

Rc.  
03/11/2025  
अवर सचिव,

श्रमायुक्त, कार्यालय, झारखण्ड।

### अधिसूचना

एस0ओ0.....दिनांक ..... का अंग्रेजी भाषा में निम्नांकित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड-3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

Rc.  
03/11/2025  
अवर सचिव,

श्रमायुक्त, कार्यालय, झारखण्ड।

## NOTIFICATION

S.O...../dated ...../In exercise of the powers conferred by section-3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), the Governor of Jharkhand is pleased to declare that the consumer price index number applicable to the employees employed in schedule employments mentioned in the attached Schedule-1, for the months shown in column-2 of the schedule mentioned below, shall be as shown in column-3 of the said schedule for the purpose of clause (d) of section-2 of the said Act.

S.N.	Month & Year	All India Consumer Price Index No. (2016 =100)
1	2	3
1	January, 2025	143.2
2	February, 2025	142.8
3	March, 2025	143.0
4	April, 2025	143.5
5	May, 2025	144.0
6	June, 2025	145.0
7	<b>Total</b>	<b>861.5</b>
8	<b>Average</b>	$861.5 \div 6 = 143.58$
9	Conversion from new series (2016 = 100) to Old series (2001 = 100)	$143.58 \times 2.88 = 413.51$ OR, 414
10	Revised/determined average index based on the period January, 2023 to June, 2023	386 Point
	Increase in CPI	$414 - 386 = 28\text{Point}$
11	<b>Percentage Increase = <math>\frac{28 \times 100}{386}</math></b>	<b>7.25 % increase</b>

2. The rates of variable dearness allowance will be based on the average of all India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages have been fixed/revised in the schedule employments. It is noteworthy that on the basis of the average index for the period from January, 2023 to June, 2023 and on the basis of the meeting of Jharkhand Minimum Wage Advisory Board, the above revised basic rates of minimum wage are effective from 11.03.2024.
3. There will be increase or decrease in rates of wages shown in column-3 of schedule with rise or fall as the case may be in aforesaid Index of the schedule employments

and it will be deemed as variable dearness allowance component. But even if index falls below the points on which minimum rates of wages had been fixed/revised, there will not be any reduction in the minimum wages fixed/revised.

4. The payment of variable dearness allowance on the basis of average Consumer Price Index of January-June, 2025, which is 1<sup>st</sup> half of 2025, will be payable from 01.10.2025.

No-2/MW-2071/2010 L&T-2724 Ranchi, Dated 03/11/25

By Order of the Governor of Jharkhand,

*Re.*  
03/11/2025

Under Secretary,  
Labour Commissioner Office, Jharkhand.

अनुसूची - 1

दिनांक 11 अक्टूबर 2023 को झारखण्ड न्यूनतम मजदूरी परामर्षदातृ पर्वद के बैठक में हुए सहमति के आलोक में न्यूनतम मजदूरी पुनरीक्षण हेतु निर्धारित 90 अधिसूचित नियोजनों (12 खण्ड दर नियोजन सहित) का वर्गीकरण एवं झारखण्ड राज्य के क्षेत्रों का वर्गीकरण निम्नवत है :-

90 अनुसूचित नियोजन (खण्ड दर नियोजन सहित) का वर्गीकरण

क्र० सं०	श्रेणी "क" (कुल 49 नियोजन)	क्र० सं०	श्रेणी "ख" (कुल 41 नियोजन)
1	पकाई हुई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानों में नियोजन	1.	खण्ड सारी उद्योग में नियोजन
2	पेट्रोल एवं डीजल पम्प में नियोजन	2.	खादी ग्रामोद्योग में नियोजन
3	इस अनुसूची में किसी भी अन्य प्रविष्टि के अंतर्गत आने वाले के अलावा दुकानों या प्रतिष्ठानों या उद्योगों में नियोजन	3.	अबरक कार्यों(खदानों को छोड़कर कारखाने एवं प्रतिष्ठान) में नियोजन
4	होटल, भोजन-गृहों एवं रेस्तराओं में नियोजन	4.	हैंडलूम उद्योग में नियोजन
5	सिनेमा उद्योग में नियोजन	5.	को-आपरेटिव सेक्टर में नियोजन
6	मेस, कैंटीन एवं क्लब में नियोजन	6.	होजियारी निर्माण में नियोजन
7	विक्रय प्रोत्साहन कर्मचारी (सेवा की शर्तों) अधि० 1976 से आच्छादित नियोजन	7.	उड़ वक्स एवं फनींघर में नियोजन
8	बौध निर्माण एवं सिंचाई कार्यों में नियोजन	8.	ऊनी कालीन बनाने वाले या शाल बुनने वाले किसी प्रतिष्ठान में नियोजन
9	सड़क के निर्माण या अनुरक्षण अथवा निर्माणकार्यों में नियोजन	9.	डेयरी एवं पोल्ट्रीफर्म्स में नियोजन
10	निजी अस्पताल नर्सिंग होम्स एवं क्लिनिक्स में नियोजन	10.	सिलाई उद्योग में नियोजन
11	किसी विश्व विद्यालयों, शैक्षणिक शोध अथवा सांस्कृतिक संस्थान में नियोजन	11.	बिजली एवं अन्य प्रकार के बल्ब तथा फ्लोरोन्स ट्यूब निर्माण उद्योग में नियोजन
12	प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेंसी में नियोजन	12.	जिल्दसाजी उद्योग में नियोजन
13	प्राइवेट तकनीकी संस्थान, कोथिंग इस्टिच्यूट, निजी स्कूल आदि (गैर शिक्षण) में नियोजन	13.	इपती, कार्डबोर्ड, पिलबोर्ड, कारगोटर्ड बोर्ड, एस्ट्राबोर्ड या गत्ता पेपर बोर्ड निर्माण में नियोजन
14	कम्प्युटर शिक्षा संस्थान आदि में नियोजन	14.	ग्लाइडूड उद्योग में नियोजन
15	चावल मिलों, आटा मिलों, दाल मिलों, तेल मिलों में नियोजन	15.	विस्कुट उद्योग में नियोजन
16	स्पंज आयरन, छड़ निर्माण एवं लोहा से एंगल बनाने तथा इनगोट में नियोजन	16.	मुद्रणालय में नियोजन
17	जमीन के नीचे वाटर सप्लाय पाईप लाइन एवं केबुल बिछाने में नियोजन	17.	पोट्रीज में नियोजन
18	चार्टड/कॉस्टअकाउंट्स/ऑडिटर/टैक्स कंसल्टेन्सी एंड आर्किटेक में नियोजन	18.	बेकरीज एवं कान्फेक्शन में नियोजन
19	मोबाइल टावर इत्यादि के संचालन के कार्य में नियोजन	19.	लॉन्ड्री एवं वॉशिंग में नियोजन

20	पश्चिम मोटर ट्रांसपोर्ट में नियोजन	20.	आइसक्रीम एवं कोल्ड ड्रिंक्स में नियोजन
21	अल्यूमिनियम उद्योग में नियोजन	21.	प्राइवेट फेरिज एण्ड एल०टी०सी० में नियोजन
22	केमिकल एण्ड फार्मास्युटिकल उद्योग में नियोजन	22.	फिशरीज में नियोजन
23	साबुन निर्माण उद्योग में नियोजन	23.	पंडाल आदि का साज सज्जा आदि में नियोजन
24	सीमेंट प्री-स्टेस्ट प्रोडक्शन उद्योग में नियोजन	24.	सवारी एवं माल वाहक वाहन चलाने वाले ड्राइवर/ खलासी/ परिचालक आदि नियोजन
25	एसबेस्टस सीमेंट कारखाना में नियोजन	25.	मोटर गैराज एण्ड बक्स शॉप में नियोजन
26	ग्लास शीट निर्माण में नियोजन	26.	धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान में नियोजन
27	बन्दुक कारखाने में नियोजन	27.	कृषि नियोजन
28	पेपर उद्योग में नियोजन	28.	बुहारने और सफाई का कार्य में नियोजन
29	रिफ़ेक्ट्रीज, फायर ब्रिक्स एवं सिरामिक्स उद्योग में नियोजन	29.	सिंदुर एवं रंग बनाने का उद्योग में नियोजन
30	प्लास्टिक उद्योग में नियोजन	30.	केन्दु पत्ता तोड़ने एवं तैयार करने में नियोजन
31	शीशा उद्योग (ग्लास शीट को छोड़कर) में नियोजन	31.	लादने-उतारने में नियोजन
32	डलाई (फ़ाउण्ड्री उद्योग) में नियोजन	32.	मिट्टी काटने के कार्य में नियोजन
33	कोल ब्रिकेट उद्योग में नियोजन	33.	ईट निर्माण में नियोजन
34	मिनरल ग्राइंडिंग में नियोजन	34.	बीड़ी निर्माण में नियोजन
35	ग्राइंडिंग एण्ड क्रशिंग आफ मिनरल और में नियोजन	35.	पावरलूम इण्डस्ट्रीज में नियोजन
36	हार्ड कोक भट्टा में नियोजन	36.	वन का संचालन तथा लकड़ी काटने के कार्यों में नियोजन
37	चर्म शोधनालय और चर्म विनिर्माणशालाओं में नियोजन	37.	हेयर कटिंग सैलून में नियोजन
38	चर्म-वस्तु निर्माण में नियोजन	38.	असली रेशम, कृत्रिम रेशम तथा स्टेपूल धागों से निर्माण सहित सिल्क उद्योग में नियोजन
39	रबर एवं रबर कम्पाउन्ड उद्योग (जिसमें टायर एवं ट्यूब का निर्माण भी सम्मिलित है) में नियोजन	39.	पत्थर तोड़ने एवं पीसने में नियोजन
40	सीमेंट से हयूम पाईप, बिजली का खम्भा एवं रेलवे स्लीपर बनाने के उद्योग में नियोजन	40.	त्राय बगान में नियोजन
41	डिस्टीलरी में नियोजन	41.	घरेलू नौकर का नियोजन
42	इलेक्ट्रिसिटी जेनरेटर एण्ड सप्लाइ में नियोजन		
43	ऑटो मोबाइल इंजीनियरिंग शॉप में नियोजन		
44	इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में नियोजन		
45	लघु अभियंत्रण उद्योग (स्वचालित अभियंत्रण दुकानों को छोड़कर) में नियोजन		
46	मोटर बॉडी बिल्डिंग में नियोजन		
47	स्वर्ण एवं रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के निर्माण में नियोजन		
48	कोल्ड स्टोरेज में नियोजन		
49	झारखण्ड राज्य में सरकारी कार्यालयों / उपग्रहों / बोर्ड / स्थानीय निकायों में कार्यरत कर्मचारियों के नियोजन		

**झारखण्ड राज्य के जिलों/क्षेत्रों का वर्गीकरण**

क्र०स०	श्रेणी	आच्छादित क्षेत्र
1	2	3
1	A	राँची नगर निगम, चास नगर निगम, धनबाद नगर निगम, देवघर नगर निगम, हजारीबाग नगर निगम एवं जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र, मानगो नगर निगम, जुगसलाई नगर परिषद् क्षेत्र एवं आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र।
2	B	"A" श्रेणी को छोड़कर अन्य सभी जिलों के नगरनिकाय क्षेत्र (नगरनिगम, नगर परिषद् व नगर पंचायत)
3	C	राज्य के अन्य क्षेत्र

"A" श्रेणी के क्षेत्र (राँची नगर निगम, चास नगर निगम, धनबाद नगर निगम, देवघर नगर निगम, हजारीबाग नगर निगम एवं जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र, मानगो नगर निगम, जुगसलाई नगर परिषद् क्षेत्र एवं आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र) हेतु दिनांक-01.10.2025 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी (V.D.A. सहित) इस प्रकार है:-

**दैनिक दरें**

क्र. सं.	कोटि	"क" श्रेणी के नियोजन हेतु दैनिक दरें			"ख" श्रेणी के नियोजन हेतु दैनिक दरें		
		दिनांक- 11.03.2024 से निर्धारित मूल मजदूरी	परिवर्तशील महंगाई भत्ता (दिनांक- 01.10.2025 से देय)	कुल	दिनांक- 11.03.2024 से निर्धारित मूल मजदूरी	परिवर्तशील महंगाई भत्ता (दिनांक- 01.10.2025 से देय)	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अकुशल	468	34	502	446	32	478
2	अर्द्धकुशल	491	36	527	468	34	502
3	कुशल	647	47	694	616	45	661
4	अतिकुशल	746	54	800	711	52	763

**मासिक दरें**

क्र. सं.	कोटि	"क" श्रेणी दरें			"ख" श्रेणी के नियोजन हेतु दैनिक दरें		
		दिनांक- 11.03.2024 से निर्धारित मूल मजदूरी	परिवर्तशील महंगाई भत्ता (दिनांक- 01.10.2025 से देय)	कुल	दिनांक- 11.03.2024 से निर्धारित मूल मजदूरी	परिवर्तशील महंगाई भत्ता (दिनांक- 01.10.2025 से देय)	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अकुशल	12,168	882	13050	11596	841	12437
2	अर्द्धकुशल	12,766	926	13692	12168	882	13050
3	कुशल	16,822	1220	18042	16016	1161	17177
4	अतिकुशल	19,396	1406	20802	18486	1340	19826

"B" श्रेणी के क्षेत्र ("A" श्रेणी को छोड़कर अन्य सभी जिलों के नगरनिकाय क्षेत्र) हेतु दिनांक-01.10.2025 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी (V.D.A. सहित) इस प्रकार है:-

दैनिक दरें

क्र. सं.	कोटि	"क" श्रेणी के नियोजन हेतु दैनिक दरें			"ख" श्रेणी के नियोजन हेतु दैनिक दरें		
		दिनांक-11.03.2024 से निर्धारित मूल मजदूरी	परिवर्तशील महंगाई भत्ता (दिनांक-01.10.2025 से देय)	कुल	दिनांक-11.03.2024 से निर्धारित मूल मजदूरी	परिवर्तशील महंगाई भत्ता (दिनांक-01.10.2025 से देय)	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अकुशल	446	32	478	425	31	456
2	अर्द्धकुशल	468	34	502	446	32	478
3	कुशल	617	45	662	588	43	631
4	अतिकुशल	712	52	764	678	49	727

मासिक दरें

क्र. सं.	कोटि	"क" श्रेणी के नियोजन हेतु दैनिक दरें			"ख" श्रेणी के नियोजन हेतु दैनिक दरें		
		दिनांक-11.03.2024 से निर्धारित मूल मजदूरी	परिवर्तशील महंगाई भत्ता (दिनांक-01.10.2025 से देय)	कुल	दिनांक-11.03.2024 से निर्धारित मूल मजदूरी	परिवर्तशील महंगाई भत्ता (दिनांक-01.10.2025 से देय)	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अकुशल	11,596	841	12437	11050	801	11851
2	अर्द्धकुशल	12,168	882	13050	11596	841	12437
3	कुशल	16,042	1163	17205	15288	1108	16396
4	अतिकुशल	18,512	1342	19854	17628	1278	18906

"C" श्रेणी के क्षेत्र (राज्य के नगर निकाय क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्र) हेतु दिनांक-01.10.2025 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी (V.D.A सहित) इस प्रकार है:-

दैनिक दरें

क्र. सं.	कोटि	"क" श्रेणी के नियोजन हेतु दैनिक दरें			"ख" श्रेणी के नियोजन हेतु दैनिक दरें		
		दिनांक- 11.03.2024 से निर्धारित मूल मजदूरी	परिवर्तशील महंगाई भत्ता (दिनांक- 01.10.2025 से देय)	कुल	दिनांक- 11.03.2024 से निर्धारित मूल मजदूरी	परिवर्तशील महंगाई भत्ता (दिनांक- 01.10.2025 से देय)	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अकुशल	425	31	456	405	29	434
2	अर्द्धकुशल	446	32	478	425	31	456
3	कुशल	588	43	631	560	41	601
4	अतिकुशल	678	49	727	646	47	693

मासिक दरें

क्र. सं.	कोटि	"क" श्रेणी के नियोजन हेतु दैनिक दरें			"ख" श्रेणी के नियोजन हेतु दैनिक दरें		
		दिनांक- 11.03.2024 से निर्धारित मूल मजदूरी	परिवर्तशील महंगाई भत्ता (दिनांक- 01.10.2025 से देय)	कुल	दिनांक- 11.03.2024 से निर्धारित मूल मजदूरी	परिवर्तशील महंगाई भत्ता (दिनांक- 01.10.2025 से देय)	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अकुशल	11,050	801	11851	10530	763	11293
2	अर्द्धकुशल	11,596	841	12437	11050	801	11851
3	कुशल	15,288	1108	16396	14560	1056	15616
4	अतिकुशल	17,628	1278	18906	16796	1218	18014

2. यह अधिसूचना दिनांक-01.10.2025 से प्रभावी होगी।

टिप्पणी :-

- (क) न्यूनतम मजदूरी की मूल दरों का पुनरीक्षण अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 386, जो जून, 2023 के सूचकांक व झारखण्ड न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्वद की बैठक में हुए सहमति/विमर्श पर आधारित है।
- (ख) जनवरी, 2025 से जून, 2025 तक का औसत सूचकांक 414, जिस पर महँगाई भत्ता देय है।
- (ग) झारखण्ड न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्वद की सहमति के आलोक में परिवर्तनशील महँगाई भत्ता पूर्णांक (round off) में परिवर्तित कर दिया गया है।
- (घ) न्यूनतम मजदूरी की दरें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा-4 की उप धारा-4(1) के खण्ड (III) के अन्तर्गत होंगी।
- (ङ) मासिक मजदूरी की दरों का दैनिक मजदूरी की दरों में तथा दैनिक मजदूरी की दरों का मासिक मजदूरी की दरों में रूपांतरण क्रमशः 26 से भाग दे कर और 26 से गुणा कर के किया जाएगा।
- (च) न्यूनतम मजदूरी की उपर्युक्त निर्धारित दरों में सात दिनों की अवधि में विश्राम के दिन के लिए कर्मचारियों को देय पारिश्रमिक शामिल है।
- (छ) साप्ताहिक विश्राम के दिन काम करने वाले कर्मचारी न्यूनतम मजदूरी नियमावली, 1951 के नियम-25 में विहित दर से समयोपरि काम का भुगतान पाने का हकदार होगा।
- (ज) पुरुष या स्त्री कामगार एक ही काम या उसी प्रकार के काम के लिए समान दर पर मजदूरी पायेंगे।

र.

**Annexure- 1**

In the light of the consensus reached in the meeting of Jharkhand Minimum Wages Advisory Board on October 11, 2023, the classification of 90 notified schedule Employments (including 12 Piece rated schedule Employments) fixed for the minimum wage revision and the classification of areas of Jharkhand state is made as follows :-

**Classification of 90 Scheduled Employments (including Piece Rate Employment)**

Sl. No.	CATEGORY "क" (Total 49 Employments)	Sl. No.	CATEGORY "ख" (Total 41 Employments)
1	2	3	4
1.	Employment in Shops selling cooked food stuff	1.	Employment in Khand Sari Industry
2.	Employment in Petrol & Diesel Pumps	2.	Employment in Khadi & Village Industry
3.	Employment in shops or establishment other than that covered under any of the other entries in this schedule	3.	Employment in Mica Works (Factories & Estd. excluding Mines)
4.	Employment in Hotels, Eating Houses & Restaurants.	4.	Employment in Handloom Industries
5.	Employment in Cinema Industry	5.	Employment in Co-operative sector.
6.	Employment in Mess, Canteen & Clubs	6.	Employment in Hosieries Manufacturing.
7.	Employment in sales promotion (Conditions of service) Act, 1976.	7.	Employment in Wood works & Furniture.
8.	Employment in Dam Construction & Irrigation.	8.	Employment in Any woolen carpet making and shawl weaving establishments
9.	Employment in Construction or Maintenance of Road or in building construction.	9.	Employment in Dairies and Poultry Farms.
10.	Employment in Private Hospitals Nursing Homes and Clinics	10.	Employment in Tailoring Industry
11.	Employment in Any Universities, Educational Research or Cultural Institution.	11.	Employment in Electric & other type of Bulbs & Florence Tube manufacture Industry
12.	Employment in Private security agency.	12.	Employment in Book Binding Industry
13.	Employment in Private Technical Institution, Coaching Institute & Private Schools (Non-teaching).	13.	Employment in Dafti, Card Board, Mill Board, Corrageted Board, Gatta Board Manufactory.
14.	Employment in Computer Educational Institute etc.	14.	Employment in Plywood Industry

15.	Employment in Rice Mill, Flour Mills, Dal Mills & Oil Mills.	15.	Employment in Biscuits Industry
16.	Employment in Sponge Iron, Rod Manufacturing & Manufacturing of angle from Iron & Ingots.	16.	Employment in Printing Press.
17.	Employment in laying of Under Ground Cables, Electronic lines, Water supply lines & Sewerage Pipe Line.	17.	Employment in Potteries.
18.	Employment in Chartered/Cost Accounts, Auditors, Tax Consultancy and Architects.	18.	Employment in Bakeries & Confectionaries.
19.	Employment in Mobile Tower	19.	Employment in Laundry & Washing.
20.	Employment in Public Motor Transport	20.	Employment in Ice cream and cold drink.
21.	Employment in Aluminum Industry	21.	Employment in Private Ferries and L.T.C
22.	Employment in Chemical Pharmaceutical Industry	22.	Employment in Fisheries.
23.	Employment in Soap Making Industry	23.	Employment in Decoration of Pandal etc.
24.	Employment in Cement prestressed products Industry.	24.	Employment in Bus and Truck Driver/Conductor & Cleaners.
25.	Employment in Asbestos Cement Factory	25.	Employment in Motor garages & Workshops.
26.	Employment in Glass Sheet Building	26.	Employment in Religious & Social Industry.
27.	Employment in Gun Factory	27.	Employment in Agriculture.
28.	Employment in Paper Industry	28.	Employment in Sweeping & Cleaning.
29.	Employment in Refractories, Fire Bricks, Ceramic Industry.	29.	Employment in Sindur and colour manufacturing Industries.
30.	Employment in Plastic Industry	30.	Employment in Plucking and Processing of kendo-leaves
31.	Employment in glass industries (excluding glass sheet)	31.	Employment in Loading and Unloading Operation.
32.	Employment in Foundry Industries	32.	Employment in Earth Cutting Operation
33.	Employment in Coal Briquette Industries	33.	Employment in Brick Manufacturing
34.	Employment in Mineral Grinding Industries	34.	Employment in Beedi Manufacturing.
35.	Employment in Grinding and Crushing of Mineral ore.	35.	Employment in Power Loom Industry
36.	Employment in Hard coke ovens.	36.	Employment in Forestry and Timbering Operation
37.	Employment in Tanneries & Leather manufactory.	37.	Employment in Hair Cutting Saloon
38.	Employment in Leather goods Manufacturing.	38.	Employment in Silk Industry Manufactory from pure Silk, artificial silk and other staple yarn
39.	Rubber and rubber compound industry (in	39.	Employment in Stone Breaking and Stone Crusher Operation

	which manufacture of tyre & tube is also included) .		
40.	Employment in Cement Hume Pipe, Electric Pole & Railway Sleeper manufacture Industry	40.	Employment in Tea Plantation
41.	Employment in Distilleries.	41.	Employment of Domestic Servant
42.	Employment in Electricity Generators and supply.		
43.	Employment in Auto Mobile Engineering.		
44.	Employment in Electronic Industries.		
45.	Employment in Minor Engineering Industry (excluding Auto Mobile Engineering Shops)		
46.	Employment in Motor Body Building		
47.	Employment in Manufacture of Gold/Silver Ornaments & Articles of Artistic Design		
48.	Employment in Cold Storage.		
49.	Employments of workers engaged in Government Offices/Undertakings/Boards & Local Bodies in the state of Jharkhand.		

**Classification of districts/ areas of Jharkhand State.**

Sl.No.	Category	Covered Areas
1	2	3
1	A	Ranchi Municipal Corporation, Chas Municipal Corporation, Dhanbad Municipal Corporation, Deoghar Municipal Corporation, Hazaribagh Municipal Corporation and Jamshedpur Notified Area, Mango Municipal Corporation, Jugsalai Municipal Council and Adityapur Municipal Corporation Areas.
2	B	All Civic Body/ Municipal Areas and Notified Area except "A" category)
3	C	Other areas of the state.

*R.C.*

The Minimum Wage for "A" Category area (Ranchi Municipal Corporation, Chas Municipal Corporation, Dhanbad Municipal Corporation, Deoghar Municipal Corporation, Hazaribagh Municipal Corporation and Jamshedpur Notified Area, Mango Municipal Corporation, Jugsalai Municipal Council and Adityapur Municipal Corporation Areas) from dated 01.10.2025 is as follows:-

**Daily Rates**

Sl.No.	Category	Daily wages for 'क' Category' of Employment			Daily wages for 'ख' Category' of Employment		
		Basic wages fixed as on 11.03.2024	Variable dearness allowance w.e.f. 01.10.2025	Total	Basic wages fixed as on 11.03.2024	Variable dearness allowance w.e.f. 01.10.2025	Total
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Unskilled	468	34	502	446	32	478
2	Semi Skilled	491	36	527	468	34	502
3	Skilled	647	47	694	616	45	661
4	Highly Skilled	746	54	800	711	52	763

**Monthly Rates**

Sl.No.	Category	Daily wages for 'क' Category' of Employment			Daily wages for 'ख' Category' of Employment		
		Basic wages fixed as on 11.03.2024	Variable dearness allowance w.e.f. 01.10.2025	Total	Basic wages fixed as on 11.03.2024	Variable dearness allowance w.e.f. 01.10.2025	Total
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Unskilled	12,168	882	13050	11,596	841	12437
2	Semi Skilled	12,766	926	13692	12,168	882	13050
3	Skilled	16,822	1220	18042	16,016	1161	17177
4	Highly Skilled	19,396	1406	20802	18,486	1340	19826

*Rtc.*

**The Minimum Wage for "B" Category area (All Civic Body/ Municipal Areas and Notified Area except "A" category) from dated 01.10.2025 is as follows :-**

**Daily Rates**

Sl.No.	Category	Daily wages for 'क' Category' of Employment			Daily wages for 'ख' Category' of Employment		
		Basic wages fixed as on 11.03.2024	Variable dearness allowance w.e.f. 01.10.2025	Total	Basic wages fixed as on 11.03.2024	Variable dearness allowance w.e.f. 01.10.2025	Total
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Unskilled	446	32	478	425	31	456
2	Semi Skilled	468	34	502	446	32	478
3	Skilled	617	45	662	588	43	631
4	Highly Skilled	712	52	764	678	49	727

**Monthly Rates**

Sl.No.	Category	Daily wages for 'क' Category' of Employment			Daily wages for 'ख' Category' of Employment		
		Basic wages fixed as on 11.03.2024	Variable dearness allowance w.e.f. 01.10.2025	Total	Basic wages fixed as on 11.03.2024	Variable dearness allowance w.e.f. 01.10.2025	Total
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Unskilled	11,596	841	12437	11,050	801	11851
2	Semi Skilled	12,168	882	13050	11,596	841	12437
3	Skilled	16,042	1163	17205	15,288	1108	16396
4	Highly Skilled	18,512	1342	19854	17,628	1278	18906

*R. S.*

The Minimum Wage for "C" Category area (Areas other than municipal areas of the State) from dated 01.10.2025 is as follows

**Daily Rates**

Sl.No.	Category	Daily wages for 'क' Category' of Employment			Daily wages for 'ख' Category' of Employment		
		Basic wages fixed as on 11.03.2024	Variable dearness allowance w.e.f. 01.10.2025	Total	Basic wages fixed as on 11.03.2024	Variable dearness allowance w.e.f. 01.10.2025	Total
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Unskilled	425	31	456	405	29	434
2	Semi Skilled	446	32	478	425	31	456
3	Skilled	588	43	631	560	41	601
4	Highly Skilled	678	49	727	646	47	693

**Monthly Rates**

Sl.No.	Category	Daily wages for 'क' Category' of Employment			Daily wages for 'ख' Category' of Employment		
		Basic wages fixed as on 11.03.2024	Variable dearness allowance w.e.f. 01.10.2025	Total	Basic wages fixed as on 11.03.2024	Variable dearness allowance w.e.f. 01.10.2025	Total
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Unskilled	11,050	801	11851	10,530	763	11293
2	Semi Skilled	11,596	841	12437	11,050	801	11851
3	Skilled	15,288	1108	16396	14,560	1056	15616
4	Highly Skilled	17,628	1278	18906	16,796	1218	18014

*Rz*

2. This notification will be effective from 01.10.2025.

**NOTE:-**

- (a) The Basic rates of Minimum wages are based on the All India Consumer Price Index Number 386, which is Price Index of June, 2023
- (b) The average index from January, 2025 to June, 2025 is 414, on which dearness allowance is payable.
- (c) In the light of the consent of Jharkhand Minimum wage Advisory Board, the rate of variable dearness allowance has been rounded off.
- (d) The rates of Minimum Wages shall be within the meaning of clause (III) Of sub-section (1) of section-4 of the Minimum Wages Act, 1948.
- (e) Conversion of the monthly rates of wages into daily rates of wages and vice versa shall be worked out by dividing the monthly rates by 26 and multiplying the daily rates by 26.
- (f) The rates of Minimum Wages above include the remuneration payable to the employees in respect of the day of rest in every period of seven days.
- (g) An employee shall, for the work done on the weekly day of rest, be entitled to overtime payment of the rate prescribed in rule-25 of the Jharkhand Minimum Wages Rules-1951.
- (h) Men and Women workers shall get the same rates of wages for the work of a similar nature .

No-2/MW-2071/2010, L & T-2223.....Ranchi, Dated .....03/11/25

By order of the Governor of Jharkhand,

*R.C.*  
*03/11/2025*  
**Under Secretary,**

Labour Commissioner Office, Jharkhand.

ज्ञापांक-2/एम०डब्लू०-2072/2010 अ०नि०.2.223 राँची, दिनांक: 03/11/25

प्रतिलिपि:- अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, डोरन्डा, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि वे इस गजट की ५०० प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

Rc.  
03/11/2025

अवर सचिव,

श्रमायुक्त कार्यालय, झारखण्ड।

ज्ञापांक-2/एम०डब्लू०-2072/2010 अ०नि०.2.223 राँची, दिनांक: 03/11/25

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के सचिव, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

Rc.  
03/11/2025

अवर सचिव,

श्रमायुक्त कार्यालय, झारखण्ड।

ज्ञापांक-2/एम०डब्लू०-2072/2010 अ०नि०.2.223 राँची, दिनांक: 03/11/25

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/उप निदेशक, श्रम मंत्रालय (वेज सेल), भारत सरकार, नई दिल्ली/मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), श्रम शक्तिभवन, नईदिल्ली / क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), धनबाद/ निदेशक, लेबर ब्यूरो, शिमला / चण्डीगढ़ / स्थानिक आयुक्त, झारखण्ड भवन नई दिल्ली/ सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/ सभी उपायुक्त, झारखण्ड/ सभी उप विकास आयुक्त, झारखण्ड/ सचिव, न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्वद (केन्द्रीय) श्रम शक्तिभवन, नई दिल्ली/ न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्वद के सभी सदस्य गण/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य गव्य विकास निगम, राँची/ निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची/ सभी विभागीय पदाधिकारियों (तकनीकी सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

Rc.  
03/11/2025

अवर सचिव,

श्रमायुक्त कार्यालय, झारखण्ड।